न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **77/18 (वाद)**

1. श्री बाबुलाल पिता श्री कुका डांगी निवासी बेमाला डबोक तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री कुका पिता श्री भेरा डांगी निवासी बेमाला डबोक तह.मावली।

.....प्रतिवादी

उपस्थित–1. श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 09.04.2019

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मोतीखेडा पटवार हल्का गुडली की आराजी नम्बर 1523/3798, 1527/3832, 1532/3833, 1536/3841, 1537/3871, 1539/3875, 3796, 3839, 3840 किता 9 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा, आ.न. 1525/3830, 3828, 3829 किता 3 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि मृतक श्री भेरा पिता हरजी डांगी के नाम थी जो भेरा के स्वर्गवास के पश्चात प्रतिवादी के खाते में दर्ज हुई।भूमि वादी के दादाजी भेरा जी को भी विरासत से प्राप्त हुई।
2. वादी व प्रतिवादी के परिवार का सजरा निम्न पेश किया:–

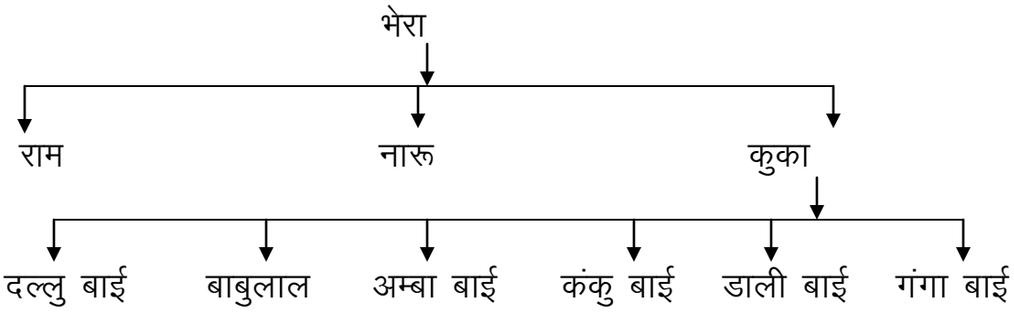

उक्त सजरे के अनुसार मूल पुरूष भेरा जी थे जिनका स्वर्गवास हो गया जिनको तीन पुत्र रामा, नारू व कुका जी हुए। कुका जी के वारिसान में वादी बाबुलाल पुत्र अम्बाबाई, कंकुबाई, डालीबाई, गंगा बाई पुत्रिया है।

3. वादी एवं प्रतिवादी संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है जिनका जन्म से ही विधि के उक्त संयुक्त हिन्दु परिवार की कृषि भूमि जिसका विवरण वाद–पत्र में निहित है तथा वादी अपने जन्म से ही उक्त कृषि भूमि का उपयोग–उपभोग प्रतिवादी के साथ करता चला आ रहा है उक्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की मौरूसी कृषि

भूमि है जिसका कोई विभाजन उक्त संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्यों के मध्य आज दिनांक तक नहीं हुआ है यानि उक्त भूमि में भेरा जी के जीवनकाल से ही प्रतिवादी तथा अन्य सभी सदस्यों का संयुक्त रूप से आधिपत्य होकर सभी सदस्य आपसी सहमति से काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की मौरूसी कृषि भूमि जिसका ज्ञान प्रतिवादी को प्रारम्भी से ही है प्रतिवादी के ज्ञान में उक्त भूमि उसकी क्रयशुदा नहीं होकर उसके खाते में श्री भेरा जी के स्वर्गवास के पश्चात विरासत से अंकित हुई है। जिसमें वादी व अन्य सभी सदस्यों का विधिक हित जन्म से ही निहित है। उक्त तथ्य का ज्ञान प्रतिवादी व अन्य सदस्यों को होते हुए भी प्रतिवादी अपने नाम से राजस्व रेकार्ड में अंकन होने का फायदा उठा उक्त भूमि अन्य लोगों को विक्रय करने पर आमादा है जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

4. उक्त तथ्य को ज्ञान होते हुए भी प्रतिवादी भू.माफिया लोगो की गिरफ्त में आ गया है व उक्त भूमि अन्य लागों को विक्रय करने हेतु उक्त भू–दलालो को मौके पर लेकर आया व उन्हे भूमि विक्रय करने हेतु बातचीत करने लगा जिस पर वादी जो कि मौके पर आधिपत्यधारी है ने प्रतिवादी से निवेदन किया कि उक्त भूमि हमारी मौरूसी भूमि है जिसमें सभी सदस्यों को विधिक हित निहित है जिससे आप बिना उक्त सभी सदस्यों की सहमति के उक्त भूमि या किसी भाग को अन्य लोगों को विक्रय नहीं करें परन्तु प्रतिवादी ने उक्त बात को मानने से इन्कार कर दिया परिवार के सदस्यों व समाज के मौतबीर लोगो द्वारा समझाईश करने पर भी बात मानने से इन्कार कर दिया।

5. प्रतिवादी संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित भूमि को अन्य लोगो को विक्रय नहीं करे, यदि प्रतिवादी को उपरोक्त आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं फरमाया जाता है तो प्रतिवादी अपने नाम राजस्व रकेर्ड में अंकित होने से उक्त भूमि अन्य लोगो को विक्रय कर देगा जिससे वादी को भारी मानसिक एवं आर्थिक क्षति हो जाएगी कि जिसका एवजाना रूपयो में आंका जाना सम्भव नहीं रहेगा न्याय हेतु प्रतिवादी को उपरोक्त आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है। एवं वादी के पक्ष में घोषणा भी फरमाई जावे की पैतृक भूमि होने से अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा भूमि वादी का होने से उक्त हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

6. वाद कारण दिनांक 30.03.2018 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी अपने साथ अन्य अपरिचित लोगो को लेकर मौके पर आया व उक्त भूमि को विक्रय करने की बातचीत की वादी व अन्य लोगों द्वारा समझाईश किये जाने पर वादी के साथ गाली गलोच की व उक्त भूमि अन्य लोगो को विक्रय कर वादी को बेदखल करने की धमकी दी यही वाद कारण ग्राम मोती खेडा डबोक में उत्पन्न हुआ जो वाद पेश करने की दिनांक तक जारी है।
7. अतः प्रार्थना है कि इस आशय की घोषणा फरमाई जावे कि वाद पत्र के कलम संख्या 2 में वर्णित भूमि मौरूसी कृषि भूमि होकर वादी का उक्त भूमि में प्रतिवादी व अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से 1/8 वां हिस्सा है जिस 1/8 वे हिस्सा का वादी को खातेदार काश्ताकार घोषित फरमाया जावें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित भूमि का अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय, बेचान या रहन नही करें तथा वादी द्वारा उक्त भूमि के किये जा रहे उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की विध्न या बाधा उत्पन्न नही करे उक्त कार्य न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावें।
8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद सूचना प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ करवाई गई।
9. साक्ष्य वादी पी.डब्ल्यू–1 श्री बाबुलाल पिता कुका डांगी का शपथ पत्र पेश किया गया।
10. वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, जमाबन्दी मेवाड सेटलमेन्ट प्रदर्श , नकल खसरा मिलान प्रदर्श 3 पेश किया।
11. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति होना बताया पैतृक होने से भूमि अपने नाम दर्ज कराने का निवेदन किया।
12. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वाद वर्णित भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है वादी द्वारा प्रस्तुत सजरे अनुसार वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादी के दादा भैरा पिता हरजी के नाम चली आ रही है जो दस्तावेज प्रदर्श 4 से स्पष्ट है। पुरानी सेटलमेंट नकलो के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक सम्पति होना जाहिर आया

है जो उसके दादा भैरा पिता हरजी के पूर्व से ही चली आ रही है। जो विरासत से भैरा के पुत्र कूका के नाम दर्ज हुई है। प्रतिवादी कूका वादी का पिता होकर संयुक्त हिन्दु परिवार का कर्ता खानदान है सजरे अनुसार कुका के वारिसों में दल्लुबाई, अम्बाबाई, कंकूबाई, डालीबाई, गंगाबाई एवं वादी वारिस होना बताया है। प्रतिवादी द्वारा भूमि को अन्य को विक्रय करने पर आमादा होने से भूमि में अपने पिता के जीवित रहते अपने हिस्से की घोषणा करा खातेदारी काश्तकार घोषित कराने का दावा प्रस्तुत किया है जबकी वादी का पिता संयुक्त हिन्दु परिवार का कर्ता खानदान है जिससे उक्त भूमि के उपयोग उपभोग एवं अपनी जायज जरूरत के लिये भूमि को बेचने का पूरा अधिकार है पिता के जीवित रहते वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहीत में उचित नही है। वादग्रस्त भूमि में वादी का हक जन्म से निहीत है अतः प्रतिवादी यदि अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि को अन्य को विक्रय कर देता है तो वादी को अपने हक हिस्सो से वंचित होना पडेगा। अतः प्रकरण में खातेदारी घोषणा वादी के पक्ष में नही की जा सकतीा है किन्तु प्रतिवादी को हिस्से से अधिक भूमि के बेचान के लिये रोका जाना न्यायहीत में आवश्यक है। अतः वादी का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा मोतीखेडा, पटवार हल्का गुडली की आराजी नम्बर 1523/3798, 1527/3832, 1532/3833, 1536/3841, 1537/3871, 1539/3875, 3796, 3839, 3840 किता 9 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा, आ.न. 1525/3830, 3828, 3829 किता 3 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी कुका पिता भैरा अपने हिस्से से अधिक का बेचान नही करे। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2019 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास मोहन सिंह, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री बाबुलाल पिता श्री कुका डांगी निवासी बेमाला डबोक तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री कुका पिता श्री भेरा डांगी निवासी बेमाला डबोक तह.मावली।

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 77/17 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मोहन सिंह R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा मोतीखेडा, पटवार हल्का गुडली की आराजी नम्बर 1523/3798, 1527/3832, 1532/3833, 1536/3841, 1537/3871, 1539/3875, 3796, 3839, 3840 किता 9 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा, आ.न. 1525/3830, 3828, 3829 किता 3 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी कुका पिता भैरा अपने हिस्से से अधिक का बेचान नही करे। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 09.04.2019 को जारी की गई।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली